

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से मान्यता प्राप्त सभी इन्टरमीडियट शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों में इन्टरमीडिएट सत्र 2026-2028 में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची जारी करने के संबंध में विद्यार्थियों एवं संबंधित प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य के इन्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-28 में इन्टरमीडिएट स्तर में Online Facilitation System for Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विद्यार्थियों को पीओ अफ़र 74/2026 के माध्यम से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों से दिनांक 08.05.2026 से 18.05.2026 तक OFSS Website पर ऑनलाइन आवेदन (CAF) आमंत्रित किया गया था, जिसने बाद में अंतिम रूप से विद्यार्थी संख्या-पीओ अफ़र 84/2026 के माध्यम से दिनांक-25.05.2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि विस्तारित किया गया था।

2. समिति द्वारा दिनांक 25.05.2026 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विद्यार्थियों द्वारा उनके नामांकन कक्षा की परीक्षा, आवेदन कोटि तथा उनके द्वारा दिये गये संस्थान एवं संकाय के विवरण के आधार पर इन्टर कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 05.05.2026 को प्रथम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी, जिसके आधार पर चयनित विद्यार्थियों का आवेदन शिक्षण संस्थानों में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक नामांकन किया जाना है। साथ ही प्रतिबंधित नामांकित विद्यार्थियों की विवरणों को अगले दिन अपडेट रूप से OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर Online Entry करके अपडेट (Update) किया जाना है।

3. नामांकन की अवधि में सभी शिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य/प्राचार्य तथा सभी शिक्षक/रक्षक कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो चयनित विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। कि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में कक्षाएँ की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था की जानी है, अतः यह आवश्यक है कि इन्टर कक्षाओं में नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार अन्य शिक्षकों/शिक्षक/रक्षक कर्मियों को भी प्रतिनिधित्व करना सुनिश्चित किया जाए।

4. अतः उक्त के आलोक में इन्टर कक्षा में नामांकन के लिये विद्यार्थियों की सुविधा हेतु आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त संख्या में कक्षाएँ की व्यवस्था की जाय, जिससे कि किसी भी दिन नामांकन के समय आवश्यकता से अधिक भीड़ नही हो। साथ ही, उक्त कार्य को समाप्तित करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शिक्षक/रक्षक कर्मियों की प्रतिनिधित्व की जान।

5. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त पर्युप्लोड श्रेणी के सभी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के प्रथम चरण में प्रथम चयन सूची (First Selection List) का निर्माण निर्माणांकित विद्यार्थियों के आधार पर किया जा रहा है:-

(i) इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट की संख्याएँ कुल संख्या

(ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाइन आवेदन में भरे गये संस्थान/संकाय का विकल्प

(iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रस्ताव

(iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान

(v) वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में यदि 12वीं की पढ़ाई हुई विकल्पों में अपने विद्यालय (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है) का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गयी है, अर्थात् यदि उनके अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता नहीं है नहीं मिलता है, तो उनका चयन अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी में अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को पहले चयन पर दिया है और उनका चयन उनके मेरा एवं आरक्षण के आधार पर आवेदन नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें पहले नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का अपना उत्तीर्ण विकल्प (जो पहले विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन सीट के विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिये चयनित किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के लिये यह प्राधान्य उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट की संख्या के सीमा के अंतर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या से अधिक उत्ती संस्थान में विद्यार्थियों ने इन्टर में नामांकन के लिये आवेदन दिया है तो वे भी स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेरा सूची में ऊपर से अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार ही उस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जायेगा। शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेरा सूची में नहीं हैं) को यह संस्थान नहीं दिया जायेगा, बल्कि उनके द्वारा भरे गये विकल्प के आधार पर उनके अपने संस्थान आवेदित किया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त तरीके से आलोचन में समिति द्वारा इन्टर में नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची (First Selection List) दिनांक 05.05.2026 को सुबह 11.00 बजे जारी किया जायेगा, जिसे संबंधित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों को उनके Login ID पर मेज़ने की कार्यवाही का ला रही है। इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर दिनांक 05.05.2026 को जारी किया जायेगा, जिसे आवेदक <https://ofssbihar.net> पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में प्रथम चयन सूची (Intimation Letter) भी निगूत करने की कार्यवाही का ला रही है, जिसे वे OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password अंकित कर देख सकते हैं तथा Reference ID/Barcode No. एवं अपना मोबाइल नंबर अंकित कर Download भी कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनित विद्यार्थियों को SMS भी भेजा जा रहा है।

7. अतः प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदनकर्ता दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अपने आवेदित शिक्षण संस्थान में नामांकन लेना सुनिश्चित करना। प्रथम चयन सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी OFSS Portal से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट निकालकर संबंधित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य से संपर्क स्थापित करेंगे। संबंधित प्राचार्य उक्त सूचना पत्र (Intimation Letter) एवं आवश्यक सभी अनिवार्य प्राप्त कर विद्यार्थी का नामांकन संबंधित संस्थान में लेने एवं OFSS Portal पर संबंधित शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के नामांकन की सूचना अपडेट (Update) करेंगे।

8. अगर कोई आवेदक उन्हें आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र 2026-28 में उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में आगे जो चयन सूची जारी की जायेगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा अर्थात् उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

9. यदि कोई आवेदक प्रथम चयन सूची के तहत उन्हें आवेदित किए जाने वाले इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं है और दूसरा इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे आवेदकों के लिये आवश्यक है कि जिस इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन के लिये उनका नाम प्रथम चयन सूची के तहत आवेदित किया गया है, उस इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में नामांकन अवश्य करावेंगे, अथवा उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। आवेदित शिक्षण संस्थान में नामांकन कराने के बाद ही वे द्वितीय/तृतीय चयन सूची जारी होने पर वैसे उच्चतर प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन ले सकेंगे, जिसके लिये उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है जिसके लिये निर्माणांकित प्रक्रिया है जिस स्लाइड अप प्रक्रिया करते हैं:-

9.1 स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया:- प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक वे अपना नामांकन सुनिश्चित संस्थान/संकाय में अवश्य करें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची में नामांकन नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा। यह भी सुचित किया जाता है कि ऑनलाइन Slide Up विकल्प में नया संकाय/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।

9.2 अर्थात् अगर आवेदक प्रथम चयन सूची में निम्नलिखित प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं हैं, तो वे वैसे शिक्षण संस्थान 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाइट के माध्यम से Student Login में जाकर उनके द्वारा दिये गये उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन की संपादन हेतु Slide Up विकल्प पर सहमत हो सकते हैं, परन्तु नये संस्थान/संकाय का विकल्प न तो जोड़ सकते हैं अथवा न ही बदल सकते हैं। Slide Up पर सहमत होने के पश्चात् संबंधित विद्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गये उच्च प्राथमिकता वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयन होने की सम्भावना है।

9.3 इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिये जारी प्रथम चयन सूची के अनुसार चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन करना अनिवार्य है। आवेदकों को पुनः सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिये उन्हें आवेदित शिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर चयनित आवेदक अपने प्रथम चयन सूची में आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय से संतुष्ट नहीं हैं तो भी उन्हें उस आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन लेना अनिवार्य है, ताकि Slide Up विकल्प करने के बाद उनके द्वितीय/तृतीय सूची में अपर इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय आवेदित करने पर विचार किया जा सके। अगर वे प्रथम सूची में आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय में नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा और उनका नाम OFSS System से हटा दिया जायेगा और वर्तमान सत्र में जो द्वितीय/तृतीय चयन सूची जारी की जायेगी, उसमें भी

उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. प्रथम चयन सूची में जिन आवेदकों का चयन (उनके द्वारा भरे गये विकल्पों में से) उनके प्राप्तांक प्रस्ताव एवं आरक्षण के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, वैसे आवेदक पुनः दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक OFSS वेबसाइट में Login करके अपने नये शिक्षण संस्थान का विकल्प नामांकन हेतु सूचना भर सकते हैं। नये विकल्प करने हेतु आवेदक विकल्प के रूप में नये इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में संकाय का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को न्यूनतम 10 (दस) विकल्प एवं अधिकतम 20 (बीस) विकल्प आवेदन पत्र में दोबारा भरना होगा। इन भरे गये विकल्पों के आधार पर दूसरी चयन सूची के लिये उनका यह नाम आवेदन (CAF) माना होगा। इस कार्य हेतु आवेदकों को दोबारा किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे आवेदकों को उनके दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत इत्यादि के आधार पर द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में शिक्षण संस्थान आवेदित करने हेतु विचार किया जायेगा।

11. ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये संस्थान शुल्क निहित था। अतः सभी इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों को सुचित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के बाद चुन लिये विद्यार्थियों का नामांकन उक्त इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों में होना उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति नामांकित विद्यार्थी की दर से कुल राशि Demand Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से समिति द्वारा उक्त इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों को भेजा दी जायेगी। अतः कोई भी इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान किसी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) अलग से नहीं लेगा, सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य देय शुल्क (Other Application Fee) ही लेगा।

12. नामांकन हेतु चयनित विद्यार्थी एवं संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य के लिये आवश्यक दस्तावेज:-

(i) दिनांक 05.05.2026 को जारी किये जाने वाले प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक संबंधित संस्थानों द्वारा लिया जायेगा।

(ii) संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाइट के संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि यदि संबंधित विद्यार्थी को संस्थान में नामांकन लेने की सीट OFSS वेबसाइट में नहीं भरी हुई (Filled) मानी जाए एवं प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाइट के माध्यम से पता चल सके। इसी रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

13. नामांकन के पश्चात् अगर विद्यार्थी अपने चयनित विकल्पों में किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिये इच्छुक हैं, तो वे नामांकन के पश्चात् OFSS वेबसाइट के Student's Login के माध्यम से Slide Up Option में अपनी सहमत दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक अवसर देंगे।

14. चयनित सूची में कि प्रथम चयन सूची के तहत नामांकन के पश्चात् कोई विद्यार्थी को द्वितीय सूची में बेहतर प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन करना होगा। इसके अलावा हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम चयन सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले शिक्षण संस्थान का विकल्प प्राप्त हो, जिसमें चयन द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन करने में बार-बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। इस अलावा वे OFSS के अंतर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निर्माणांकित जानकारी भी प्राप्त करें।

(i) OFSS के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान द्वारा निश्चित शुल्क लिया जाय।

(ii) तदवस्था यदि किसी विद्यार्थी अपनी द्वितीय या तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन करने के समय इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(iii) चयन प्रक्रिया के सभी चरण की समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय सूची के तहत नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित सूची की राशि की निम्नलिखित समीक्षा की जायेगी:-

(क) अगर यह नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार सूची नामांकन राशि प्राप्ति का जाय।

(ख) अगर यह द्वितीय अथवा तृतीय नामांकन है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय किसी भी राशि जमा की गयी है। अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उर्वरित राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा और अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि पूर्व के नामांकित संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा अंतिम नामांकित शिक्षण संस्थान को भेजी गयी नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित शिक्षण संस्थान को भेजा गया कर दिया जाय। नाम की विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक नाह के अवसर उस विद्यार्थी से प्राप्त किया नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित शिक्षण संस्थान को भेजा गया कर दिया जाय।

15. नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेश आवेदनकर्ता Computer से अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) का प्रिंट प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form (CAF) का प्रिंट एवं अपना मोबाइल संख्या को उन्होंने CAF में भरने के समय उपस्थापित किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

• सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर जायेंगे।

• उसके पश्चात् होम पेज पर दिये गये लिंक "इन्टर +2 कक्षा" में अपने चयन एवं नामांकन संबंधी इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगे।

• क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं जिन मोबाइल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भरे हैं, उसे सही-सही भरेंगे।

• आगे बढ़ने के पश्चात् आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सूचना पुनः जाँच लेने की सुविधाओं सहित भरी गयी है।

• वांछित सूचना अंकित करने के पश्चात् आवेदक चयनित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान एवं संकाय देख पायेंगे।

• उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना सूचना पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।

• डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये सूचना पत्र (Intimation Letter), Common Application Form का प्रिंट आउट सहित अन्य सभी मूल अनिवार्य यथा-10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परिसरगत पत्र, प्रथम प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान द्वारा माँगी जाय तथा उन प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित को-टो प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट आकार के पंथ चरित्र फोटो लेकर संबंधित प्रधानाचार्य/प्राचार्य से संपर्क कर अपना नामांकन करवायें।

16. इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य के लिये आवश्यक निदेश:-

(i) जिस इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित होंगे उस शिक्षण संस्थान के Admission Incharge को वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन OFSS वेबसाइट पर अपडेट हो गया है। इसके लिये निर्माणांकित प्रक्रिया अपनायी होगी:-

• किसी भी वेब ब्राउजर से <https://ofssbihar.net> वेबसाइट खोलें।

• खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।

• Portal Login लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा, जिसमें शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।

• यदि संबंधित शिक्षण संस्थान का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा प्रशासिका से संपर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।

• Login करने के पश्चात् संबंधित प्रधानाचार्य/प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाई तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।

• "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down से संबंधित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय चुन लें।

• उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले सेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।

• "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।

• OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में अपडेट हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में हो गया है।

• उपर्युक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान के लिये यदि आवश्यक है, क्योंकि OFSS वेबसाइट में आवेदक का नाम अपडेट होने पर ही वह सीट फरा हुआ माना जायेगा, जिससे कि जब विद्यार्थी विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी की जाय, तो संबंधित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान के रिक्त सीट के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।

(ii) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक उन्हें आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थानों में किया जायेगा। उक्त संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS वेबसाइट के इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपडेट करते रहेंगे। ऐसा करना अनिवार्य है ताकि संबंधित विद्यार्थी जिसका नामांकन इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान में लिया जायेगा, की सीट OFSS वेबसाइट में भरी हुई मानी जाय एवं प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद शिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS वेबसाइट के माध्यम से पता चल सके। इसी रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संबंधित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे।

(iii) दिनांक 05.05.2026 को जो विद्यार्थी संबंधित संस्थान में नामांकन लेने उनकी सूची OFSS वेबसाइट के संस्थान Login में दिनांक 05.05.2026 को निश्चित रूप से संस्थान द्वारा ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाय। इसी प्रकार, दिनांक 06.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 07.05.2026 को, दिनांक 07.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 08.05.2026 को, दिनांक 08.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 09.05.2026 को, दिनांक 09.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 10.05.2026 को, दिनांक 10.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 11.05.2026 को, दिनांक 11.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 12.05.2026 को एवं दिनांक 12.05.2026 के नामांकित विद्यार्थियों की सूची दिनांक 13.05.2026 को ही संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट पर Login कर अवश्य ही अपडेट कर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित संस्थान एवं उसके प्रधानाचार्य/प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iv) यदि नामांकन निर्धारित समयानुसार में लिया जाना है, अतः नामांकन की प्रक्रिया सुचारु रूप से एवं सतत चालू हो, इसके लिये आपके स्तर से इस कार्य का प्रतिदिन चयन रूप से अनुप्रणाल आवश्यक है। यदि इस अलग अवधि में कहीं संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होता है, अतः सभी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को निदेश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया हेतु न्यूनतम 04 (चार) कक्षाएँ (अधिकतम संख्या इससे अधिक की रखी जा सकती है) रखी जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही विद्यार्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा न्यूनतम 03-04 कक्षाएँ पर उक्त संस्थान के लिये नामांकित विद्यार्थियों की सूची भी लगायी/सिफरवाही जाय। सभी प्रधानाचार्य/प्राचार्य इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरतापूर्वक लिया जायेगा तथा ऐसे संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

17. नामांकन के पश्चात् बेहतर विकल्प (Slide Up) हेतु इच्छुक विद्यार्थियों के लिये आवश्यक निदेश:-

(i) प्रथम चयन सूची (First Selection List) के आधार पर आवेदित इन्टरमीडियट शिक्षण संस्थान/संकाय में विद्यार्थी अपना नामांकन करायेंगे।

(ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच किसी भी दिन ऐसे विद्यार्थी OFSS के वेबसाइट <https://ofssbihar.net> से Student's Login-Id पर अपना User ID एवं Password से Login करें एवं स्लाइड अप (Slide Up) Option पर Click करें तथा स्लाइड अप (Slide Up) हेतु वेबसाइट पर सहमत हों। इसके लिये निम्न प्रक्रिया है:-

(क) अपना User ID एवं Password से अपना पेज खोलें।

(ख) क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Slide Up Option दिखायें।

(ग) Slide Up Option हेतु इच्छुक विद्यार्थी Slide Up Option के सामने दिये गये बटन को क्लिक करेंगे।

(iii) विद्यार्थी Slide Up पर सहमत होने के क्रम में कोई संस्थान/संकाय न तो बदल सकते हैं और न ही नया कोई संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं। किन्तु यहाँ पुनः स्पष्ट किया जाता है कि द्वितीय चयन सूची के लिये सिर्फ वैसे ही विद्यार्थियों के Slide Up Option पर विचार किया जायेगा, जो प्रथम चयन सूची में नामांकित संस्थान में नामांकन करा चुके हैं। यदि वे प्रथम चयन सूची में आवेदित शिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन [Candidate] रद्द कर दिया जायेगा तथा उनको द्वारा भरे गये Slide Up Option पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18. नये विद्यार्थी, जिनका चयन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में नहीं होता है, के लिये आवश्यक सूचना:- विद्यार्थी द्वारा दिये गये Choices (विकल्प) वाले शिक्षण संस्थान के Cut Off Marks से कम प्राप्तांक होने के कारण अथवा संकाय की न्यूनतम अर्हता (Minimum Criteria) पूर्ण नहीं करने के कारण जिन विद्यार्थियों का प्रथम चयन सूची (First Selection List) में चयन नहीं हो सका है, वैसे विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण निदेश निम्नतः है:-

(i) विद्यार्थी OFSS Portal पर उपलब्ध सभी शिक्षण संस्थानों के सभी संकायों का प्रथम कटऑफ लिस्ट (First Cut Off List) देख लेंगे कि किन-किन शिक्षण संस्थानों/संकायों में किन-किन आरक्षण कोटि के अंतर्गत चयनित विद्यार्थी का क्या अंक प्रतिशत है।

(ii) दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच ऐसे विद्यार्थी OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password के माध्यम से अपना वेब पेज खोलेंगे।

(iii) प्रथम चयन सूची के कट ऑफ मार्क्स को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 के बीच OFSS Portal पर न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 विकल्प भरेंगे।

19. वैसे विद्यार्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (CAF) भरा गया है, परंतु किसी कारणों से उनका मुताबिक हो सका है, तो वे अपने द्वारा आवेदन एवं प्रस्तावों के माध्यम से वेबसाइट पर Login करके हुए मुताबिक कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के नाम पर द्वितीय/तृतीय चयन सूची के प्रकाशन के क्रम में विचार किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रथम चयन सूची जारी करने के पश्चात्:-

(i) प्रथम चयन सूची जारी करने की तिथि:- दिनांक 05.05.2026

(ii) नामांकन की अवधि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक

(iii) शिक्षण संस्थान द्वारा OFSS वेबसाइट <https://ofssbihar.net> में Login कर सीट अपडेट किये जाने की अंतिम तिथि:- दिनांक 12.05.2026 तक

(iv) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिये ऑनलाइन आवेदन की अवधि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक

(v) जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने अवधि पूर्व के विकल्प में प्रतिदिन करने की अवधि:- दिनांक 05.05.2026 से 12.05.2026 तक

20. इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी समिति की वेबसाइट <https://ofssbihar.net> पर प्राप्त की जा सकती है।

21. विद्यार्थियों को नामांकन संबंधी सूचना प्रदान करने के लिये समिति द्वारा OFSS Bihar Info नाम से मोबाइल एवं टैबलर डिवाइस है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। किसी भी Android Smart Phone